



CHETANA

International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2024 - 8.029



Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

अलवर प्रजामंडल आन्दोलन में मास्टर भोलानाथ की भूमिका

मनोज कुमार

(सहायक आचार्य) इतिहास

राजकीय कन्या महाविद्यालय टपूकड़ा (खैरथल- तिजारा)

Email- chopra24manna@gmail.com, Mob. - 8104639210

First draft received: 11.01.2025, Reviewed: 19.01.2025

Final proof received: 22.01.2025, Accepted: 03.02.2025

सार-संक्षेप

अलवर प्रजामंडल के इतिहास में प्रमुख प्रजामंडल कार्यकर्ताओं के रूप में मास्टर भोलानाथ का स्थान हम अग्रिम पंक्ति में पाते हैं। मास्टर भोलानाथ अलवर रियासत में ही अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित मा. भोलानाथ लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, नत्थूराम मोदी, इंद्र सिंह आजाद जैसे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के संपर्क में आकर 1936 से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस के विधान में अलवर क्षेत्र दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का एक भाग होने के कारण लाला शंकर लाल, नाथर जी, पार्वती देवी, सरस्वती देवी, केदारनाथ गोयनका जैसे कांग्रेस नेताओं का भी अलवर आना-जाना था। अपनी राजनैतिक गतिविधियों के कारण जल्दी ही सरकार की नजरों में आने से इन्होंने अध्यापक पेशा छोड़कर 1939 में प्रत्यक्ष रूप से अलवर की राजनीति में सक्रिय होकर अलवर राज्य प्रजामंडल के लिए अपने आप को एक अनिवार्य शक्ति के रूप में शामिल कर लिया। कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा करने व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चंदा वसूल किए जाने के विरोध से लेकर मत्स्य संघ में मंत्री बनने तक मा. भोलानाथ एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे।

मुख्य शब्द: चंदा वसूली, शिक्षण शुल्क, खादी प्रदर्शनी, जागीर माफी, कुर्सी छोड़ो आंदोलन, मत्स्य संघ आदि.

परिचय

मास्टर भोलानाथ का सार्वजनिक जीवन मैट्रिक परीक्षा के दौरान जगन्नाथ मंदिर की सीढ़िया से आम सभा को संबोधित कर हुआ जिसके बाद उन्हें प्रजामंडल के एक अदने से नेता के रूप में पहचान मिली। भोलानाथ के अलवर प्रजामंडल में सक्रिय होने के बाद इन्होंने जिस निष्ठा, लगन, तत्परता व उत्साह से राज्य में कांग्रेस और प्रजामंडल के लिए कार्य किया उससे उनकी राजनीतिक स्थिति दृढ़ से दृढतर होती चली गई। इनके स्वतंत्र रूप से संघर्ष में शामिल होते समय अलवर प्रजामंडल द्वारा शिक्षण शुल्क विरोधी अभियान चलाया जा रहा था। अलवर रियासत शिक्षण शुल्क का विरोध कर रही थी और अलवर सरकार द्वारा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी जारी थी। सरकार ने लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, हरिनारायण शर्मा आदि अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व राज्य सेवा से निकल गए भोलानाथ ने अपने हाथ में ले लिया।³ मा. भोलानाथ भी इस विरोध में शामिल हो गए और एक जन आंदोलन का नेतृत्व कर इस शुल्क का विरोध किया।

मास्टर भोलानाथ गांधी जी से बड़े प्रभावित थे। प्रजामंडल के पंजीकरण के समय भी मा.भोलानाथ का प्रदर्शन उग्र रहा। मा. भोलानाथ कांग्रेस के सदस्यों द्वारा निकाले जाने वाले जुलूसों व सभाओं में भागीदारी करते थे। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना होने के बाद कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर उस पर ध्वजारोहण कर दिया जिसमें मा. भोलानाथ भी शामिल थे। इस कार्यालय पर पहले खुफिया पुलिस ने कब्जा कर इस पर लगे झंडे को उतार कर कार्यालय में ही बंद कर दिया गया था। इसी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा पुनः कब्जा किया गया। कांग्रेस के कार्यालय पर अधिकार जमाने के कारण मा. भोलानाथ के साथ-साथ अब्दुल गफूर जमाली व नत्थूराम मोदी पर भी कार्यालय का ताला तोड़ने का आरोप लगाकर धारा 454 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया।⁴ इसके बाद अलवर में जन आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ समय बाद ही 19 नवंबर 1938 को मा. भोलानाथ को जमानत पर छोड़ दिया गया।⁵

उन्होंने अलवर प्रजामंडल के रजिस्ट्रेशन हेतु सरकार द्वारा लगाई जा रही विभिन्न शर्तों यथा प्रजामंडल किसी भी राजनैतिक झंडे का प्रयोग नहीं करेगा, अलवर रियासत के निवासी के अलावा और कोई प्रजामंडल का सदस्य नहीं हो सकेगा, इसका कोई भी पदाधिकारी बाहर की राजनैतिक संस्था से संबंधित नहीं होगा आदि के बारे में गांधी जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया।⁶ हालांकि महात्मा गांधी ने स्पष्ट लिख दिया था कि जयपुर में जो होता है वह देख लिया जाए सरकार की शर्तों पर ही 1 अगस्त 1940 को अलवर प्रजामंडल रजिस्टर्ड हो गया।⁷ मा. भोलानाथ ने प्रजामंडल आंदोलन में कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु गांधीजी से अलवर आने की प्रार्थना की इसके प्रति उत्तर में गांधी जी ने लिखा अगर मैं दिल्ली जा सका तो अलवरवासियों से अवश्य मिलूंगा।⁸

इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण इस युद्ध का खर्चा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता पर डाल दिया और राज्य की ओर से अलवर में भी जबरदस्ती युद्ध के लिए चंदा वसूलना प्रारंभ कर दिया गया। मा.भोलानाथ ने पंडित हरि नारायण शर्मा के साथ मिलकर इस युद्ध हेतु चंदा वसूली का पूर्ण विरोध किया। वे अलवर राज्य में घूम-घूम कर चंदा ना देने हेतु जनता को प्रोत्साहित करते रहे। सरकार ने क्रोधित होकर 14 नवंबर 1940 को पंडित हरि नारायण शर्मा के साथ मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया।⁹ दोनों नेताओं को अलवर जेल में बंद कर दिया गया। इनको भोजन कराने के कारण महाजन लाल घासीराम को भी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया।¹⁰

मा.भोलानाथ ने अलवर रियासत में अपने साथियों के साथ मिलकर एक खादी प्रदर्शनी का भी आयोजन कर रियासत में जन चेतना फैलाने का कार्य किया। अलवर में 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चली इस खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन महादेव देसाई के द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी में राजस्थान के क्रांतिकारी कवि सुमनेश जोशी की अध्यक्षता में विराट कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। जिसमें सागर निजामी जैसे राष्ट्रीय कवियों ने शिरकत की।¹¹ इस प्रदर्शनी के अंतर्गत लगभग एक सप्ताह तक जनसभाएं व सम्मेलनों का दौर चलता रहा। वनस्थली विद्यापीठ से पधारी छात्राओं का व्यायाम प्रदर्शन भी अलवर जनता के लिए एक नवीन विषय था। इस प्रदर्शनी से रियासत में खादी के प्रयोग व प्रचार को बढ़ावा मिला। यह मा. भोलानाथ व उसके साथियों का एक नवीन राजनैतिक प्रयोग था जो पूर्णतया सफल रहा। भोलानाथ मा. ही इस प्रदर्शनी के संयोजक थे।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी मा. भोलानाथ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्हीं के प्रयासों से अलवर में भी वकील कार्यकर्ताओं ने इस आजादी के आंदोलन में भाग लेने हेतु अपनी वकालत छोड़ दी। 1943 में आगाखां महल में जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया तो शोभाराम के साथ-साथ भोलानाथ ने भी उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने हेतु कुछ दिन उपवास किया। इस विद्रोह में डाकघर जलाने और त्रिजारा के म्युनिसिपल टैक्सों का विरोध करने के संबंध में गिरफ्तारियां हुईं जिसमें भोलानाथ भी गिरफ्तार किए गए। जागीर माफी प्रजा कांग्रेस के समय भी भोलानाथ ने जागीर माफी प्रजा का पक्ष लिया। भोलानाथ ने प्रजा सेवक में 25 मार्च 1941 को एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उसने जागीर माफी में रहने वाली जनता के कष्टों का वर्णन किया था।¹² अलवर प्रजामंडल ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कृषकों की एक विशाल सभा का आयोजन खेड़ा मंगल सिंह¹³ गांव में करने का निश्चय किया। सरकार ने प्रजामंडल द्वारा आयोजित इस सभा को जबरदस्ती व शांति भंग करने वाली सभा का आरोप लगाकर दबाने का प्रयास किया।¹⁴ फरवरी 1946 को रात में ही पुलिस के दो ट्रक खेड़ा मंगल सिंह गांव पहुंच गए।¹⁴ मा.भोलानाथ ने इस

सभा में भाग लिया। इस सभा में बद्री प्रसाद वकील, इंद्र सिंह आजाद, कृपादयाल माथुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मा. भोलानाथ को भी गिरफ्तार कर लिया गया परंतु शीघ्र ही रामदयाल जी की प्रार्थना पर भोलानाथ को छोड़ दिया गया।

मास्टर भोलानाथ अपने राज्य से बाहर दूसरी रियासतों में भी जाकर काम करते थे। कई रियासतों में उन पर जाने का प्रतिबंध लगा हुआ था। कई स्थानों पर उन्हें पुलिस स्टेशन से ही विदा कर देती थी। परंतु यह क्रम निरंतर चलता रहा। भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान सरकार की दमनकारी नीति के अंतर्गत बाबू राज बहादुर वकील को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय जयपुर के देशपांडे, सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा के साथ मास्टर भोलानाथ भी 16 नवंबर 1945 को राज बहादुर की गिरफ्तारी के जांच के उद्देश्य भरतपुर पहुंचे थे।¹⁵ 6 मार्च 1946 को भी अलवर प्रजामंडल द्वारा सरकार को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें काशीराम, भोलानाथ, शोभाराम, भवानी सहाय प्रमुख थे।¹⁶ 21 जून 1946 को पुराना कटला में आयोजित हुई सभा में शोभाराम, कृपा दयाल माथुर, मा. भोलानाथ ने अपने भाषणों में उत्तरदाई शासन की मांगों पर जोर दिया। इसी समय में कुर्सी छोड़ो आंदोलन का नारा भी तय किया गया।¹⁷

मा. भोलानाथ ने प्रजामंडल में रहते हुए न केवल राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया बल्कि समाज के गरीब तबके को भी ऊपर उठाने का काम किया। रामचंद्र उपाध्याय द्वारा वाल्मीकि मंदिर में जो सभा की गई थी उसमें मा. भोलानाथ भी शामिल थे। इस सभा में उन्होंने हरिजन को एकजुट होकर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।¹⁸ उन्होंने हरिजनों को संगठित होकर मजबूत बनने को कहा ताकि समाज में होने वाली अस्पृश्यता का वो विरोध कर सकें। अलवर में हुए सामाजिक दंगों के समय भी मास्टर भोलानाथ ने दिल्ली जाकर अलवर से भागे हुए मुसलमानों को वापस लाने का प्रयास किया। इस पर उनकी काफी आलोचना भी हुई जिसका वर्णन एक पैंपलेट 'स्वार्थियों से सावधान' में किया गया था।¹⁹ महात्मा गांधी की हत्या के बाद 25 फरवरी 1948 को अलवर में सरदार पटेल का आगमन हुआ।²⁰ और मत्स्य संघ निर्माण हेतु बातचीत प्रारंभ हुई। मत्स्य संघ के निर्माण होने पर मास्टर भोलानाथ को भी उसमें मंत्री बनाया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- 1 गुप्त शोभालाल, गांधीजी और राजस्थान, पृष्ठ 268
- 2 जोशी सुमनेश, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, पृष्ठ 320
- 3 परिहार, डॉ विनीता, राजस्थान में प्रजामण्डल आन्दोलन, पृष्ठ 30
- 4 हिंदुस्तान टाइम्स 9 नवम्बर 1938
- 5 फा.न.8-एस/121/ पृष्ठ 404 रा.रा.अभि.अलवर
- 6 गुप्त शोभालाल, गांधीजी और राजस्थान, पृष्ठ 272
- 7 वही पृष्ठ 275
- 8 वही पृष्ठ 279
- 9 फा.न. 232 सी/173/ 39 पृष्ठ 180,191 रा.रा.अभि.अलवर
- 10 फा.न.वही पृष्ठ 191
- 11 जोशी सुमनेश, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, पृष्ठ 322
- 12 फा.न. 28/ बिका/ 4/1941 से 10/1941 पृष्ठ 7 रा.रा.अभि. अलवर

- 13 खेडा मंगल सिंह लक्ष्मणगढ़ तहसील का एक गांव है।
- 14 फा.न.34एल/पी/ 46 पृष्ठ 60,रा.रा.अभि.अलवर
- 15 परिहार, डॉ विनीता, राजस्थान में प्रजामण्डल आन्दोलन, पृष्ठ 119
- 16 फा.न.ला/गन/न.441/पी.पृ.1 रा.रा.अभि. अलवर
- 17 यादव डॉ कमल, देसी रियासतों में राजनैतिक चेतना और जन आंदोलन, पृष्ठ 159 18 फा.न.29 का. न. 29/ सी/13 अप्रैल 1942 रा.रा.अभि.अलवर
- 19 यादव डॉ कमल, देशी रियासतों में राजनैतिक चेतना और जन आंदोलन, पृष्ठ 170 20 तेज प्रताप 26 फरवरी 1948